कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।

संख्या 50 /आ0ले0–जि0अ0–2014 दिनांक 03 नवम्बर , 2014

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

जिले में स्थित परिषदीय विद्यालयों में प्रायः यह देखने में आया है कि विद्यालय में लगे इण्डिया मार्क हेण्डपम्पों की नालियां टूटी हुई हैं और पानी परिसर में भर रहा है और बाउण्ड्रीवाल भी कहीं–कहीं टूटी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रायः उपस्थित रजिस्टर में नामांकित बच्चों की उपस्थिति का किसी भी समय निरीक्षण करने पर 50 प्रतिशत तक अनुपस्थिति मिली है। यह स्थिति बच्चों की वास्तविक नामांकन पर सन्देह पैदा कर रही है और यह भी सन्देह हो रहा है कि विभिन्न शासकीय योजनाओं जैसे छात्रवृत्ति, मध्यान्ह भोजन यूनीफार्म एवं पुस्तक वितरण में भी दुरूपयोग हो रहा होगा।

यह बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि जिले में परिषदीय विद्यालयों में उपरोक्त अनियमितताओं को न होने दिया जाये। अतएव प्रथमदृष्टया त्रुटियों को समभावित मानते हुए तत्काल प्रभाव से एक सप्ताह में अभियान चलाकर सभी एन0 बी0 आर0 सी0 व बी0 आर0 सी0 व सम्बन्धित प्रधानाध्यापकों के संयुक्त हस्ताक्षरों से वास्तविक उपस्थिति का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाये जिससे जिला स्तरीय अधिकारियों को इन प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु किसी भी समय भेजकर सत्यापन कराया जा सके। समस्त अध्यापकों का यह दायित्व होगा कि छात्र रजिस्टर में नामांकित छात्रों के नामांकन की प्रमाणिकता को सत्यापित करें और अनुपस्थिति का वास्तविक कारण दर्शायें।

प्रधानाध्यापक व समस्त अध्यापकों का यह भी दायित्व होगा कि नामांकित बच्चों के तीन दिन निरन्तर अनुपस्थित रहने पर उनके माता–पिता अथवा अभिभावक से जांच की जाये और उनके घर जाकर उनसे कारण ज्ञात किया जाये और प्रत्येक दशा में फर्जी नामांकन को इस अभियान में समाप्त किया जाय। यह दायित्व आपका व अधीनस्थ खण्ड शिक्षा अधिकारियों का भी होगा तथा नगर क्षेत्र में नगर शिक्षा अधिकारी का निर्धारित किया जायेगा।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।

प्रतिलिपिः–

1– आयुक्त महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2– जिला सूचना अधिकारी फर्रूखाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एन0के0एस0चौहान)
जिलाधिकारी
फर्रूखाबाद।